उपलब्धि — जिला स्तरीय शालेय जूडो स्पर्धा में 'लिटिल चैम्प स्कूल का शानदार प्रदर्शन

9 खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड, संभाग टीम में चयन

जबलपुर नवभारत। जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर के मार्गदर्शन एवं नर्मदा नर्सरी तथा वल्लभ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हनुमानताल के संयोजन में आयोजित जिला स्तरीय शालेय बालक एवं बालिका (14, 17 एवं 19 वर्ष) जूडो प्रतियोगिता में लिटिल चैम्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम जिले में रोशन किया।

275 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था

विद्यालय की प्राचार्या शायदा अली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतिष्ठित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में संस्कारधानी के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के 275 से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कड़े मुकाबलों, तीव्र प्रतिद्वंद्विता और उच्च तकनीकी दांव-पेचों के बीच लिटिल चैम्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने अपना दबदबा बनाए रखा और विभिन्न भार वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल कर संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया।

प्राचार्या ने की खिलाड़ियों की प्रशंसा

संस्था की प्राचार्या शायदा अली ने खिलाड़ियों की तकनीक और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी प्रतिभावान खिलाड़ी वरिष्ठ जूडो कोच आबिद हुसैन खान के कुशल, कड़े और तकनीकी मार्गदर्शन में निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोच श्री खान के निरंतर मार्गदर्शन, सही रणनीतियों और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि बच्चों ने जिला स्तर पर इतना शानदार प्रदर्शन किया।

स्कूल के पदक विजेता खिलाड़ी

बालक एवं बालिका वर्ग 14 वर्ष के -32 किग्रा भार वर्ग में इर्तिका कशफ़, -36 किग्रा भार वर्ग में जोबिया फातिमा, -30 किग्रा भार वर्ग में मोहम्मद शाद नवाज़ प्रथम स्थान , -35 किग्रा भार वर्ग में अनस मंसूरी, -40 किग्रा भार वर्ग में साकिब अंसारी विजेता रहे। 17 वर्ष के -60 किग्रा भार वर्ग में अरहान आलम, -44 किग्रा भार वर्ग में अफ़शीन फातिमा, -57 किग्रा भार वर्ग में अक्शा मंसूरी, -63 किग्रा भार वर्ग में सोमिया सिद्दीकी विजेता रहे।

मप्र प्रीमियर लीग फुटबॉल 26 सितंबर से

नवभारत,जबलपुर । मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वाधान में मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सीजन-7 का शुभारंभ 26 सितंबर से किया जा रहा है। संघ के सचिव अमित रंजन देव ने बताया कि सीजन-7 में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से संबंधित 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। भाग लेने वाली टीमों में नेशनल फुटबॉल क्लब इंदौर, लेक सिटी एफसी भोपाल, डायमंड रॉक एफसी बालाघाट, नर्मदा वैली फुटबॉल क्लब मंडला, लायंस फुटबॉल अकादमी जबलपुर, बिल्ड अप स्पोर्ट्स पन्ना, स्टांप फील्ड फुटबॉल क्लब जबलपुर, सांची वॉरियर्स फुटबॉल क्लब रायसेन,शामिल है। प्रतियोगिता होम एंड अवे पद्धति पर खेली जाएगी। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता से संबंधित मैच जबलपुर, भोपाल, इंदौर एवं पन्ना में आयोजित किए जाएंगे। विजेता टीम को 1,00,000 नगद एवं उपविजेता टीम को 71,000 नगद के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। साथ ही बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट स्ट्राइकर एवं गोल्डन बूट जैसे आकर्षक व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

नशे के दुष्परिणामों के प्रति किया जागरूक

नवभारत, जबलपुर। नशे से दूरी, है जरूरी शीर्षक से चल रहे नशा मुक्ति जनजागरण अभियान के तहत सोमवार को एएसपी शहर आयुष जाखड़, एएसपी ग्रामीण श्रीमति अनु बेनिवाल द्वारा राईट टाउन स्टेडियम में स्कूली बच्चों को नशे से दूरी, है जरूरी जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुये नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुये मादक पदार्थों, तंबाकू उत्पादों के सेवन से शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्परिणामों की जानकारी दी। नशे से होने वाली बीमारियों, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में विस्तार से जागरूक किया। साथ ही स्वयं को नशे से दूर रखने, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की अपील की।मनाव श्रृंखला बनाई गई। इसके साथ ही सभी को नशे से दूरी शपथ भी दिलाई गयी। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अखिलेश गौर, कोतवाली संभाग के अंधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकगण, स्कूलों के बच्चे उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिले के समस्त थानों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम, रैली आदि आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

एक नजर में

जीआरपी ने महिला तस्कर को दबोचा

नवभारत,जबलपुर। रेलवे स्टेशन जबलपुर पर चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 स्थित लिफ्ट के पास संदिग्ध अवस्था में मिली 22 वर्षीय श्रीयंका बहेरा, निवासी कपिलेश्वर नगर, जिला बरगढ़ ओडिशा की वैधानिक तलाशी लेने पर उसके बैग से तीन पैकेटों में रखा गांजा मिला। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 1 लाख 4 हजार 300 रुपये बताई गई है। मामले में जीआरपी थाना जबलपुर में अपराध दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने प्रारंभिक रूप से बताया कि वह वलसाड़-पुरी एक्सप्रेस से ओडिशा से गांजा जबलपुर विक्रय के उद्देश्य से लाई थी। जीआरपी अब गांजा तस्करी के स्रोत तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

एक दर्जन फरार अपराधी हुए ईनामी

नवभारत, जबलपुर। शहर के थानों में दर्ज अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे एक दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने ईनाम घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार माढ़ोताल थाने में दर्ज हत्या के प्रयास में फरार तीन अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर पांच-पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा अधारताल थाने में दर्ज मारपीट के प्रकरण में फरार राजा ठाकुर पिता चरण सिंह ठाकुर 22 वर्ष निवासी निर्भयनगर कबीर कुटी अधारताल, बेलबाग थाने में दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरण में समीर वंशकार 18 वर्ष निवासी प्रेमसागर बेलबाग एवं एक अन्य प्रकरण में अंशू मराठा 20 वर्ष निवासी विद्यानगर घमापुर, अधारताल थाने में दर्ज अपराध में जसमीत सिंह 35 वर्ष, हरलीन सिंह 38 वर्ष दोनों निवासी आनंदनगर अधारताल, कोतवाली थाने में दर्ज दहेज एक्ट में बालकिशन उर्फबलराम अहिरवार 54 वर्ष निवासी कोतवाली, रांझी थाने में दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में विवेक कोल 25 वर्ष निवासी गांधी चौक मानेगांव रांझी पर चार-चार हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया।

मारपीट कर चाकूबाजी करने वाले को कोर्ट उठने तक की सजा

अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया

नवभारत,जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋचा बठेजा की अदालत ने मारपीट कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सद्दाम राईन को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अदालत को अभियोजन पक्ष ओर से एडीपीओं अजीता सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2016 की रात्रि पौने ग्यारह बजे फरियादी वसीम डांगर अपने मोहल्ले के चारखम्बा क्षेत्र में खड़ा था। उसी समय जावेद का लडक़ा सद्दाम पहुंचा, जिससे फरियादी ने उधारी की राशि मांगी। जिस पर सद्दाम ने विवाद करते हुए मारपीट शुरु कर दी और चाकू से हमला कर फरियादी के पैर की जांघ व घुटने में चोट पहुंचा दी। जिसकी शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

एपीके फाईल डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 51 हजार

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत धनी की कुटिया निवासी एक युवती साइबर ठग के जाल में फंस गई। युवती के खाते से 51 हजार रूपए निकाल लिए गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार को कनक खेमचंदानी 44 वर्ष निवासी धनी की कुटिया रोड अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसने अपने मोबाईल से डॉक्टर की अपार्टमेंट के लिये मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो मोबाईल धारक ने मरीज की जानकारी मांगी तो उसने जानकारी दी तो उक्त मोबाईल धारक ने बताया कि आपका नम्बर कल के लिये बुक किया गया एक वाट्सअप पर फाईल भेज रहा हूं उसे खोलकर मरीज की डिटेल चैक कर लीजिये, उसने खोलकर चैक किया जिसमे मरीज की डिटेल लिखी थी, पारिवारिक कारणों के कारण डाक्टर के यहां नहीं जा पायी। इस बीच उसके खाते से कुल 51 हजार 699 रूपये निकल लिए गए । उसने बैंक जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि उसका पैसे एपीके फाईल डाउनलोड करने के कारण निकाले गए है।

महिला के खाते से निकले 25 हजार

बरेला थाने में पिंकी बर्मन निवासी अनूप विहार गौर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने किसी और का रूप धारण करते हुये 25 हजार रूपये की उसके साथ ऑनलाइन ठगी की है।

बीमार यात्री को रेलवे ने समय पर पहुंचाई चिकित्सा सहायता

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से एक बीमार यात्री की जान बचाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की गई। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंची गाड़ी संख्या 01449 पुणे-दानापुर स्पेशल के दिव्यांगजन कोच में यात्रा कर रहे बिहार निवासी 42 वर्षीय मंजे सदा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों ने उन्हें व्हीलचेयर के माध्यम से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 स्थित ईएमआर क्लिनिक पहुंचाया, जहां पैरामेडिकल स्टाफ ने प्राथमिक उपचार कर उनकी जांच की। प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने यात्री को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सलाह दी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा से उन्हें शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। यात्री अत्यधिक कमजोरी के कारण बोलने में असमर्थ था तथा उसके साथ उसकी पत्नी और तीन बच्चे भी मौजूद थे। जबलपुर रेल मंडल ने समय पर चिकित्सीय सहायता और अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

कैशलेस ट्रांजेक्शन से 14 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित

नवभारत,जबलपुर। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सुविधाजनक, सुरक्षित एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कैशलेस ट्रांजेक्शन को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में पश्चिम मध्य रेल भी सक्रिय रूप से प्रयासरत है और विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा में पीआरएस एवं यूटीएस काउंटर्स पर यूपीआई/भीम, मोबाइल टिकटिंग तथा पीओएस मशीनों के माध्यम से कैशलेस भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को ट्रेनों एवं स्टेशन परिसरों में डिजिटल माध्यमों से टिकट खरीदने और भुगतान करने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून माह में पश्चिम मध्य रेल ने पीआरएस एवं यूटीएस के माध्यम से कुल 16,32,799 यात्रियों से 14,17,24,565 का कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रेलवे राजस्व अर्जित किया। वही पीआरएस के अंतर्गत पीओएस मशीनों से 6,69,495 तथा यूपीआई/भीम ऐप से 5,53,74,390 का राजस्व प्राप्त हुआ और यूटीएस प्रणाली में मोबाइल टिकटिंग से 1,87,28,260 एवं यूपीआई/भीम ऐप से 6,69,52,420 का राजस्व अर्जित किया गया।

छात्रों और यात्रियों को किया जागरूक

नवभारत,जबलपुर। पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे राज्यव्यापी नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत रविवार को थाना रेल पुलिस जबलपुर द्वारा यस नर्सरी हाई स्कूल, अधारताल एवं जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का संचालन एएसआई गोपाल सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक हेमंत कुमार, महिला प्रधान आरक्षक ललित दसारिया, प्रधान आरक्षक शकील सिद्दीकी एवं पुलिस स्टाफ ने किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं तथा रेलवे यात्रियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी गई।

सकारात्मक जीवनशैली अपनाने किया प्रेरित

कार्यक्रम में युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही समाज को नशामुक्त बनाने में प्रत्येक नागरिक, विशेषकर विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। पुलिस टीम ने सभी को 'नशे से दूरी है जरूरी' की शपथ दिलाई तथा पोस्टर एवं पंपलेट के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजन से इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।

निलामी द्वारा संपत्ति विक्रय हेतु आम सूचना

माननीय न्यायालय श्रीमान 15वाँ जिला न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा जारी रिट ऑफ कमिशन दिनांक 17.06.2026 जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता को कमीशनर नियुक्त कर निष्पादन प्रकरण क्रमांक EXA/1600007/2014 पक्षकार श्रीमती जेनिफर विरुद्ध पीटर में निम्न वर्णित संपत्ति को आम निलामी के तहत विक्रय करने हेतू निर्देशित किया है जिसका विवरण व शर्तें निम्नानुसार है- **निलामी की संपत्ति का विवरण**- फ्लेट नं. 101 अम्बा अपार्टमेंट सिविल लाईन जबलपुर (म.प्र.) नजूल प्लाट नं 13/12 व 13/13 पुराना नं 13/4 ब्लाक नं 21 में निर्मित अपार्टमेंट का फ्लेट नं 101, कुल रकबा- 500 वर्गफुट **संपत्ति का आरक्षित मूल्य**- 26,94,187/- रुपए, **धरोहर राशि**- 2,69,400/- रुपए, वृद्धि की राशि- 10,000/- रुपए, **नीलामी की शर्तें**- 1. निलामी में भाग लेने हेतु धरोहर राशि जमा करने की समयावधि दिनांक 08.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक होगी एवं निलामी की प्रक्रिया दिनांक 08.08.2026 को ही दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक की जावेगी। 2. निलामी की प्रक्रिया माननीय न्यायालय 15वाँ जिला न्यायाधीश जबलपुर के कक्ष क्रमांक 44, जिला न्यायालय परिसर जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी, 3. बोलीदाता को बोली शुरू करने से पूर्व धरोहर राशि जमानत के तौर पर जमा करवाना होगा जो उसी दिन निलामी के पश्चात असफल बोलीदाता को वापस कर दी जावेगी, 4. निलामी की प्रक्रिया के अंतिम बोलीदाता को बोली की संपूर्ण राशि न्यायालय के सी.सी.डी. में 2 कार्यालयीन दिवस के भीतर अर्थात मंगलवार 11.08.2026 तक जमा कर सूचना/ रसीद न्यायालय में देनी होगी, 5. संपत्ति का विक्रय जहाँ है जैसा है की पद्धति से किया जाएगा। संपत्ति का क्रय करते समय यह माना जावेगा कि बोलीदाता ने इसका निरीक्षण किया है, 6. कमीशनर को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए वह निलामी की कार्यवाही को अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं। उपरोक्त निलामी सूचना आज दिनांक 21/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर लगाकर जारी की गई है।

राकेश सागर (एडवोकेट)
कमीशनर

पैदल मार्च — मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन

शिक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरे एमपीएसयू के छात्र

नवभारत, जबलपुर। सोमवार को मालवीय चौक से फुहारा तक छात्रों के भारी हुजूम ने पैदल मार्च निकालकर शिक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बुलंद कर दी। मध्य प्रदेश छात्र संघ के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि आज देश और प्रदेश का छात्र अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए यदि केंद्र सरकार और संबंधित प्रशासन ने इन न्यायोचित मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो इस आंदोलन को और उग्र रूप देकर प्रदेश स्तर पर हर जिले में ले जाया जाएगा। मार्च के दौरान छात्र-छात्राओं का जोश देखने लायक था, जो हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे।

एनएसयूआई ने फूंका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज एवं पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई मध्यप्रदेश के प्रदेश सचिव सक्षम यादव ने किया, जिसमें सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की। प्रदेश सचिव सक्षम यादव ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों और मांगों को लेकर संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों के साथ जिस प्रकार पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

नीट पेपर लीक के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन का पैदल मार्च

मालवीय चौक पर सोमवार को पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश के तत्वावधान में नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों युवाओं, छात्रों और अभिभावकों ने उग्र प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के बाद मालवीय चौक से बड़ा फुहारा तक एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जहां युवाओं ने केंद्र सरकार और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन एवं जीवन रक्षक कौशल का मिला प्रशिक्षण

नवभारत,जबलपुर । मानसून पूर्व तैनाती के तहत 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम द्वारा नगर निगम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक रेखा कुमारी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदाओं के प्रति जागरूक करना तथा प्राथमिक उपचार व सीपीआर जैसे जीवन रक्षक कौशलों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। एनडीआरएफ की टीम ने आपातकालीन निकासी और बचाव तकनीकों का सजीव प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. शैलेंद्र पांडेय सहित विद्यालय स्टाफ और एनडीआरएफ के बचावकर्मी उपस्थित रहे।

STATE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT (SIHM), JABALPUR
Established by Ministry of Tourism, Govt. of Madhya Pradesh
Dumna Airport Road, Near IIITDM, P.O. Khamaria-482005
Website: sihmjbp.mp.gov.in
NCHMCT

प्रवेश सूचना / ADMISSION NOTICE 2026-27

अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

Jobs in Hotels, Airlines, Shipping, TeachingJobs in Govt.- IHM, Retail Chains, Govt. Jobs (Army, Railways etc.)

संस्था स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जबलपुर में म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के माध्यम से SC/ST/OBC छात्रों के लिए कॉर्पस फंड सपोर्ट पहल लागू की गई है। अतः संस्था में संचालित निम्नलिखित डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु SC/ST/OBC छात्रों के लिए निर्धारित सीट पर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं -

क्र.	कोर्स का नाम	कुल सीट	शैक्षणिक योग्यता	आयु	प्रवेश का प्रकार
1.	डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन	30 (ST Students - 15 SC Students-08 OBC Students-07	12वीं पास	कोई आयु सीमा नहीं	योग्यता एवं दस्तावेजों का सत्यापन व्यक्तिगत साक्षात्कार
2.	डिप्लोमा इन फूड एण्ड बेवरेज सर्विस				
3.	डिप्लोमा इन बेकरी एण्ड कनफेक्शनरी				
4.	डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन				
5.	क्राफ्टमैनशिप सर्टीफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन		10वीं पास		

● The institute reserve the right to cancel any batch of course without assigning any reason whatsoever.

ट्यूशन फीस, ड्रेस एवं टूलकिट का भुगतान प्रारंभ में म.प्र. राज्य पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जावेगा। जिसे विद्यार्थियो को MPTAAS पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर संस्था को भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

अधिक जानकारी के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जबलपुर में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 09.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या 0761-2639400, Mobile-9407124391 पर संपर्क करें ।

प्राचार्य
स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जबलपुर